**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या. 1019**

**(जिसका उत्तर मंगलवार, 29 जुलाई, 2025/7 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)**

**सीएसआर परियोजनाओं में गैर-अनुपालन**

**1019. श्रीमती फूलो देवी नेतमः**

**श्रीमती जेबी माथेर हीशमः**

**श्री नीरज डांगीः**

**क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) वित्त वर्ष 2022 से ऐसी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या और कुल मूल्य कितना है, जिन्हें अव्ययित और अननुपालित रिपोर्ट किया गया है;

(ख) इसी अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत अननुपालन के लिए कितनी कंपनियों को दंडित किया गया है; और

(ग) क्या किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों या प्रदेशों ने सीएसआर अनुपालन में बार-बार कम प्रदर्शन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।**

**(श्री हर्ष मल्होत्रा)**

**(क):** कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए कानूनी ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और अधिनियम की अनुसूची-VII के माध्यम से प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 135(5) में प्रावधान है कि सीएसआर अधिदेशित कंपनियां अधिनियम की अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों में तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत निवल लाभ का कम से कम 2% खर्च करेंगी। अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उन पर निगरानी करने का अधिकार है। मौजूदा कानूनी प्रावधान, सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति तैयार करना, सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना, परियोजना और क्षेत्र की पहचान जिसमें परियोजना कार्यान्वित

जारी.....2/-

की जाएगी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा सीएसआर व्यय का प्रमाणन और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीएसआर व्यय की लेखा परीक्षा आदि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र प्रदान करते हैं। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुमोदित राशि सौंपे गए कार्यकलाप (कार्यकलापों) पर खर्च की गई है। यदि कोई राशि खर्च नहीं की जाती है तो ऐसी राशि निर्धारित समय सीमा में अनुसूची VII में नामित निधि (निधिओं) में अंतरित की जाएगी।

**(ख):** अभिलेखों की जांच करने और/अथवा कंपनियों एवं चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने के बाद कानून की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत गैर-अनुपालन के लिए 30 कंपनियों को दंडित किया गया है।

**(ग):** अधिनियम की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध मदें व्यापक आधार वाली हैं और इनका उद्देश्य व्यापक कार्यकलाप शामिल करना है तथा इसमें सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित विनिर्दिष्ट निधियां शामिल हैं। सरकार कोई निदेश जारी नहीं करती है कि कंपनी किस कार्यकलाप या क्षेत्र पर खर्च करेगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय सीएसआर परियोजना के पूरा होने की स्थिति अलग से नहीं रखता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा दायर सीएसआर से संबंधित सभी डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इसे www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, वित्तीय वर्ष (एफआईएस) 2021-22 से 2023-24 तक विकास क्षेत्रवार और राज्यवार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक- I और अनुलग्नक- II में दिया गया है।

*****

**अनुलग्नक-।**

**दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1019 के भाग (ग) का संदर्भ लें**

**वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक भारत में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय**

**(राशि करोड़ रुपये में)**

| **क्र.सं.** | **विकास क्षेत्र-वार** | **वित्तीय वर्ष 2021-22** | **वित्तीय वर्ष 2022-23** | **वित्तीय वर्ष 2023-24** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि वानिकी | 35.52 | 67.28 | 74.47 |
| 2 | पशु कल्याण | 174.35 | 325.44 | 531.14 |
| 3 | सशस्त्र बल, भूतपूर्व सैनिक, वीरांगना/आश्रित | 47.65 | 63.63 | 68.04 |
| 4 | कला और संस्कृति | 260.39 | 449.21 | 704.04 |
| 5 | प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण | 274.90 | 584.65 | 423.47 |
| 6 | शिक्षा | 6,719.89 | 10,414.93 | 12,134.57 |
| 7 | पर्यावरणीय स्थिरता | 2,441.82 | 2,008.04 | 2,429.97 |
| 8 | लैंगिक समानता | 104.97 | 121.15 | 204.17 |
| 9 | स्वास्थ्य देखभाल | 8,049.49 | 7,023.60 | 7,150.81 |
| 10 | आजीविका वृद्धि परियोजनाएं | 880.50 | 1,703.64 | 2,360.09 |
| 11 | गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण | 1,903.78 | 1,282.73 | 1,233.93 |
| 12 | ग्रामीण विकास परियोजनाएं | 1,847.07 | 2,059.41 | 2,408.09 |
| 13 | स्वच्छ पेयजल | 192.34 | 252.78 | 327.45 |
| 14 | स्वच्छता | 314.53 | 438.81 | 375.23 |
| 15 | वरिष्ठ नागरिक कल्याण | 80.34 | 153.91 | 159.82 |
| 16 | महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना | 101.00 | 49.50 | 41.80 |
| 17 | अनाथालय की स्थापना | 27.54 | 44.99 | 31.57 |
| 18 | स्लम क्षेत्र विकास | 58.38 | 94.22 | 38.82 |
| 19 | सामाजिक-आर्थिक समानता | 165.30 | 159.19 | 200.81 |
| 20 | विशेष शिक्षा | 191.08 | 319.50 | 396.57 |
| 21 | प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर | 8.57 | 1.48 | 1.91 |
| 22 | खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण | 311.71 | 542.53 | 692.09 |
| 23 | व्यावसायिक कौशल | 1,053.80 | 1,206.75 | 1,396.55 |
| 24 | महिला सशक्तिकरण | 264.94 | 417.26 | 454.22 |
| 25 | केंद्र सरकार की अन्य निधियां | 1,631.01 | 1,145.78 | 1,000.83 |
| 26 | एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया* | 0.59 | 1.65 | 68.32 |
| | कुल | 27,141.45 | 30,932.08 | 34,908.75 |

**(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंध प्रकोष्ठ)**

*** कंपनियों ने या तो क्षेत्र के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

*****

**अनुलग्नक- II**

**दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1019 के भाग (क) से (ग) का संदर्भ लें**

**वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक भारत में राज्यवार सीएसआर व्यय**

**(राशि करोड़ रुपये में)**

| क्रम संख्या | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्त वर्ष 2021-22 | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार | 9.71 | 2.53 | 3.03 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 663.50 | 986.77 | 1,129.75 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 119.42 | 13.36 | 39.57 |
| 4 | असम | 406.42 | 474.96 | 488.62 |
| 5 | बिहार | 178.97 | 241.41 | 260.53 |
| 6 | चंडीगढ़ | 51.19 | 18.44 | 113.31 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 317.70 | 609.08 | 422.73 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 18.27 | 23.22 | 30.17 |
| 9 | दिल्ली | 1,198.50 | 1,517.07 | 1,949.95 |
| 10 | गोवा | 45.43 | 60.91 | 85.79 |
| 11 | गुजरात | 1,613.18 | 2,060.02 | 2,707.54 |
| 12 | हरियाणा | 687.13 | 720.38 | 816.95 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 140.27 | 141.40 | 148.59 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 50.68 | 72.19 | 98.54 |
| 15 | झारखंड | 243.95 | 389.65 | 414.63 |
| 16 | कर्नाटक | 1,849.82 | 2,058.73 | 2,254.88 |
| 17 | केरल | 241.58 | 362.85 | 387.91 |
| 18 | लक्षद्वीप | 0.97 | 0.02 | 0.36 |
| 19 | लेह और लद्दाख | 14.84 | 11.72 | 30.41 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 427.48 | 668.32 | 600.47 |
| 21 | महाराष्ट्र | 5,407.40 | 5,705.54 | 6,065.95 |
| 22 | मणिपुर | 15.62 | 53.60 | 83.19 |
| 23 | मेघालय | 19.63 | 22.94 | 30.94 |
| 24 | मिजोरम | 6.94 | 11.01 | 4.48 |
| 25 | नागालैंड | 12.46 | 13.57 | 15.41 |
| 26 | ओडिशा | 752.37 | 994.82 | 1,389.39 |
| 27 | पुडुचेरी | 9.31 | 14.29 | 32.68 |
| 28 | पंजाब | 185.41 | 263.51 | 351.89 |
| 29 | राजस्थान | 713.85 | 1,122.65 | 1,145.67 |
| 30 | सिक्किम | 28.24 | 36.18 | 41.87 |
| 31 | तमिलनाडु | 1,441.03 | 1,637.12 | 1,968.76 |
| 32 | तेलंगाना | 688.58 | 1,040.61 | 1,054.92 |
| 33 | त्रिपुरा | 15.91 | 19.26 | 9.45 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 1,345.02 | 1,213.12 | 1,545.01 |
| 35 | उत्तराखंड | 228.09 | 307.60 | 360.76 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 571.89 | 782.74 | 862.57 |
| 37 | पैन इंडिया* | 5,789.58 | 6,104.58 | 6,960.21 |
| 38 | अन्य केंद्रीकृत फंड | 1,631.01 | 1,145.78 | 1,000.83 |
| 39 | एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया* | 0.09 | 10.12 | 1.06 |
| | **कुल** | **27,141.45** | **30,932.08** | **34,908.75** |

**(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंध प्रकोष्ठ)**

***कंपनियों ने या तो राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

*****